FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

........हनुमान राम........ बनाम ....मदन लाल वगैरा........

किस्म मुकदमा ....दावा........ नं. ....104........ सन् 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
13-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय कोर्ट उप./[illegible] पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग के है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26-10-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
26.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत–हासपुर में पेश हुई। वकील वादी मय वादी पक्षकार उपस्थित। उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने की। वकील वादी मय पक्षकार ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी पक्षकार के निवेदन पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रा स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को विड्रा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 26/10/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प– हासपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh Rathore
Date: 2021.11.01 17:31:43 IST
Reason: SelfAttested